अजेय कुमार को राजस्थान का संगठन महामंत्री बनाकर भाजपा ने खेला "मास्टरस्ट्रोक"

चंद्रशेखर मिश्रा को तेलंगाना भेजने के बाद पिछले ढाई साल से खाली पद था यह पद

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । करीब ढाई साल के लंबे समय के बाद भाजपा ने अजेय कुमार को राजस्थान का संगठन महामंत्री बनाकर "मास्टरस्ट्रोक" खेला है। इससे पहले यह जिम्मेदारी चंद्रशेखर मिश्रा के पास थी। उन्हें करीब ढाई वर्ष पूर्व तेलंगाना भेजे जाने के बाद से यह पद रिक्त था। इस दौरान संगठन महामंत्री की नियुक्ति को लेकर कई नाम चर्चा में आए, लेकिन फैसला टलता रहा। अब संघ और भाजपा नेतृत्व के बीच सहमति बनने के बाद अजेय कुमार के नाम पर अंतिम मुहर लगी है। बुधवार को दिल्ली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अजेय कुमार से मुलाकात की।

चर्चाएं है कि संघ के अनुभवी प्रचारक अजेय कुमार को यह जिम्मेदारी राजस्थान में हर 5-5 साल में सरकार बदले की परिपाटी पर ब्रेक लगाने के लिए सौंपी गई है। ज्ञात रहे कि अजेय कुमार वर्ष 2019 से उत्तराखंड में संगठन महामंत्री थे और उनके नेतृत्व में पार्टी ने वहां बूथ स्तर तक मजबूती भी हासिल की। उन्हें कुशल संगठनात्मक प्रबंधन, अनुशासन और कार्यकर्ताओं के साथ मजबूत संवाद के लिए पहचाना जाता हैं। अजेय कुमार को उत्तराखंड की जिम्मेदारी मिलने के बाद संगठन में अभूतपूर्व मजबूती देखने को मिली। इसी का परिणाम रहा कि उत्तराखंड में भाजपा ने इस परंपरा को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का

संगठन महामंत्री अजेय कुमार

- चर्चाएं हैं कि, संघ के अनुभवी प्रचारक अजेय कुमार को यह जिम्मेदारी राजस्थान में हर 5-5 साल में सरकार बदले की परिपाटी पर ब्रेक लगाने के लिए सौंपी गई है।
- जानकारों की मानें तो अजेय कुमार वर्ष 2019 से उत्तराखंड में संगठन महामंत्री थे और उनके नेतृत्वमें पार्टी ने वहां बूथ स्तर तक मजबूती भी हासिल की
- राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों से पहले पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करना उनके लिए बड़ी चुनौती रहेगी

इतिहास रचा और उसके पश्चात प्रत्येक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ विजय प्राप्त की है। चाहे वो वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव हो, वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव हो, निकाय एवं पंचायत चुनाव हों या हाल ही में संपन्न सहकारिता चुनाव, प्रत्येक चुनाव में भाजपा ने उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए एकतरफा जीत दर्ज की है। राजनीतिक विश्लेषकों को राजस्थान में उनकी नियुक्ति भी एक बड़े गेम चेंजर के रूप में नजर आ रही है।

जिस तरह उत्तराखंड में उन्होंने संगठन को मजबूती देकर सत्ता की पुनरावृत्ति का मार्ग प्रशस्त किया, उसी तर्ज पर अब राजस्थान में भी भाजपा हर पांच साल में सरकार बदलने की परिपाटी को समाप्त करने का प्लान पर कार्य करने वाली है।

राजस्थान जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में उनकी नियुक्ति इस बात का भी संकेत है कि भाजपा अब केवल चुनाव जीतने की रणनीति पर नहीं, बल्कि स्थायी राजनीतिक पकड़ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्य में वर्षों से सत्ता परिवर्तन के इस चक्र को तोड़कर एक स्थिर शासन का मॉडल प्रस्तुत करना चाहती है। अजेय कुमार की कार्यशैली और उनके अनुभव का लाभ यदि राजस्थान में उसी तरह मिलता है, जैसा उत्तराखंड में मिला, तो यह राज्य की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। हालांकि अब राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों से पहले पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करना अजेय कुमार के लिए बड़ी चुनौती रहेगी।

गौरतलब है कि, भाजपा संगठन में आने से पहले वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक रहे हैं। संघ में उन्होंने श्रीनगर नगर प्रचारक, हरिद्वार जिला प्रचारक, ऊधम सिंह नगर जिला प्रचारक और अल्मोड़ा विभाग प्रचारक जैसे महत्वपूर्ण दायित्व निभाए। संगठन में उनकी पहचान मेहनती, अनुशासित और परिणाम देने वाले कार्यकर्ता की रही है।

उत्तराखंड जाने से पहले अजेय कुमार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में संगठन महामंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने मेरठ, बिजनौर और मुरादाबाद सहित कई जिलों में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का कार्य किया। उनकी कार्यशैली का मुख्य आधार कार्यकर्ता आधारित संगठन निर्माण और जमीनी नेटवर्क को सशक्त करना माना जाता है। अजेय कुमार 2023 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान के जिलों की चुनावी कमान संभाली थी। गत 14 सितंबर 2019 को तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मंजूरी के बाद उन्हें उत्तराखंड भाजपा का प्रदेश महामंत्री (संगठन) बनाया गया था।

संगठन में अजेय कुमार की छवि एक शांत, संयमित और रणनीतिक सोच वाले नेता की रही है। उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) शिव प्रकाश का करीबी माना जाता है। संघ और भाजपा दोनों संगठनों में लंबे अनुभव के कारण उन्हें राजस्थान जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

हालांकि राजस्थान भाजपा के नए संगठन महामंत्री अजेय कुमार के सामने कई अहम चुनौतियां होंगी। पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारी, बूथ समितियों को सक्रिय करना, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और संगठन को गांव-ढाणी स्तर तक मजबूत बनाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने आगामी चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक अनुभव और संघ पृष्ठभूमि वाले चेहरे को जिम्मेदारी देकर स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी अब जमीनी स्तर पर संगठन को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में तेजी से काम करेगी।

अजेय कुमार की नियुक्ति को राजस्थान भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बदलाव और नई ऊर्जा के रूप में देखा जा रहा है।

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2017 के पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार

परीक्षा केन्द्र पर सांठगांठ कर रिमोट एक्सेस से पेपर हल करवाता था बदमाश

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2017 में ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ कर अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने वाले हाईटेक नकल गिरोह के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपित कानाराम निवासी को गिरफ्तार किया है। आरोपित पर परीक्षा केंद्र पर सांठगांठ कर रिमोट एक्सेस तकनीक के जरिए परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र हल करवाने का आरोप है। इस मामले में अब तक कुल 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपित से एसओजी की टीम पूछताछ करने में जुटी है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि वर्ष 2018 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2017 कंप्यूटर आधारित प्रणाली से आयोजित की गई थी। परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी एपटेक कंपनी को दी गई थी। 12 मार्च 2018 को एपटेक कंपनी के कर्मचारी रोहन कपूर ने एसओजी थाने में परीक्षा में गडबडी और कंप्यूटर हैकिंग का मामला दर्ज कराया था। जहां एसओजी की जांच में सामने आया कि जयपुर स्थित सरस्वती इन्फोटेक परीक्षा केंद्र के संचालकों और अन्य आरोपितों ने मिलकर संगठित गिरोह बनाया था। गिरोह ने चुनिंदा अभ्यर्थियों को लाभ

आरोपी कानाराम

- इस मामले में एसओजी अब तक 34 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी

पहुंचाने के लिए परीक्षा केंद्र के कंप्यूटर सिस्टम में रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अवैध हस्तक्षेप किया।

वहीं जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों से खुलासा हुआ कि 9 मार्च 2018 को परीक्षा की दूसरी पारी में लाभार्थी अभ्यर्थी हीरालाल को पहले सीट नंबर 53 पर बैठाया गया था। बाद में आरोपित विकास और अमोल महाजन ने उसे उसकी निर्धारित सीट से हटाकर सीट नंबर 66 पर स्थानांतरित कर दिया। जहां सीट नंबर 66 पर मौजूद कंप्यूटर को आरोपित अमोल महाजन ने लॉगऑफ और पुन: लॉग ऑन करने के बाद पेन ड्राइव की सहायता से डार्क कॉमेट नामक रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। इस सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर का नियंत्रण परीक्षा केंद्र से बाहर बैठे गिरोह के सदस्यों को सौंप दिया गया।

जांच में सामने आया कि जयपुर स्थित किंग विंग बिल्डिंग के कमरा नंबर 204 से बैठे आरोपियों ने रिमोट एक्सेस के माध्यम से अभ्यर्थी हीरालाल का पूरा प्रश्न पत्र ऑनलाइन हल किया और उसे अनुचित लाभ पहुंचाया।

एसओजी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी कानाराम इस पूरे नेटवर्क का महत्वपूर्ण सदस्य था। उसने परीक्षा केंद्र पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लाभार्थी अभ्यर्थी को गिरोह से जोड़ने और पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी। एसओजी अब आरोपी कानाराम से गहन पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों, आर्थिक लेन-देन, परीक्षा में लाभ पाने वाले अन्य अभ्यर्थियों तथा नेटवर्क से जुड़े लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं। एसओजी अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और पेपर लीक एवं ऑनलाइन परीक्षा में धांधली से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है।

झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने पर पूर्व विधायक परम नवदीप सिंह के खिलाफ प्रसंज्ञान

अदालत ने मामले को आपराधिक तौर पर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-7 महानगर द्वितीय ने पुलिस में गलत तथ्यों पर रिपोर्ट दर्ज कराने के आरोप में पूर्व विधायक परम नवदीप सिंह के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए मामले को आपराधिक तौर पर दर्ज करने के लिए कहा है। इसके साथ ही अदालत ने परम नवदीप को समन जारी कर 24 जुलाई को तलब किया है। अदालत ने यह आदेश अभियोजन अधिकारी की ओर से पेश परिवाद पर दिए।मामले के अनुसार अभियोजन की

- साथ ही कोर्ट ने परम नवदीप को समन जारी कर 24 जुलाई को तलब किया है

ओर से परम नवदीप बनाम सरकार मामले में कोर्ट के 17 अप्रैल 2026 के आदेश और पुलिस की एफआर रिपोर्ट पेश की गई। कोर्ट ने 17 अप्रैल के आदेश में कहा था कि परिवादी परम नवदीप सिंह ने मुख्तयार सिंह के खिलाफ बनीपार्क पुलिस थाने में धोखाधड़ी व फर्जी दस्तावेज की एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन उसकी एफआईआर में आरोपी के खिलाफ प्रसंज्ञान लेने का आधार ही नहीं था।

वहीं पुलिस ने भी अपनी एफआर में मामले को झूठा बताकर परिवादी के खिलाफ ही आईपीसी की धारा 182 व 211 के तहत कोर्ट से कार्रवाई का आग्रह किया। जिस पर कोर्ट ने कहा कि मौजूदा समय में झूठे केस दर्ज कराने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में अभियोजन परिवादी के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट के आदेश के बाद अभियोजन अधिकारी ने परम नवदीप के खिलाफ झूठे तथ्यों पर रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में कोर्ट में इस्तगासा दायर किया था।

जानकारी के अनुसार परम नवदीप सिंह ने बनीपार्क पुलिस थाने में 12 जनवरी 2021 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि मुख्तयार सिंह ने बनीपार्क स्थित 2000 वर्गगज के मकान संख्या डी-86 को हड़पन के लिए और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उसके पिता की फर्जी व बनावटी वसीयत बनाकर उसका इस्तेमाल किया है। इसलिए मामले में कार्रवाई की जाए।

137 सड़क निर्माण कार्यों के लिए 882 करोड़ रु. मंजूर

जयपुर । राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में 137 सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 882.54 करोड़ रुपये की वित्तीय सहमति प्रदान की है। इनके लिए जल्द ही निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। मंजूरी के अनुसार फलौदी, जोधपुर, ब्यावर, अलवर, बाड़मेर, बालोतरा, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, करौली, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, सलूम्बर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, जालोर, बारां, श्रीगंगानगर, झालावाड़, जयपुर, भरतपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और धौलपुर में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिलेगी।

उद्योगों की सरकारी अनुमति और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर चर्चा

उन्होंने संबंधित विभागों का 20 जून तक कार्य पूरा करने के दिए निर्देश

जयपुर (कासं)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को सचिवालय में 'कंप्लायंस रिडक्शन एंड डी-रेगुलेशन फेज-2' की समीक्षा की। उन्होंने चिकित्सा-स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, राजस्व, वन एवं पर्यावरण, शहरी विकास, श्रम, विधिक माप विज्ञान, न्याय और उद्योग विभाग को संबंधित कार्य 20 जून तक संपन्न कर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। बैठक में इन विभागों में किए जाने वाले सुधारों पर विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में व्यापार में सुगमता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 'कंप्लायंस रिडक्शन एंड डी-रेगुलेशन फेज-2' के तहत 16 विभागों से जुड़े कुल 28 प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं।

इसमें भूमि उपयोग, भवन एवं निर्माण, यूटिलिटीज़ और विभिन्न अनुमतियां, विद्युत, पर्यावरण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े उद्योग स्थापित

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को सचिवालय में कंप्लायंस रिडक्शन एंड डी-रेगुलेशन फेज-2 की समीक्षा बैठक ली।

करने से जुड़ी प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाने पर जोर दिया गया है।उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) शिखर अग्रवाल ने बैठक में बताया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुल 28 क्षेत्रों में से 8 को राज्य में लागू कर दिया गया है, जिसमें ऊर्जा, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और उद्योग विभाग, रीको, बीआईपी तथा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड शामिल हैं। साथ ही, 15 क्षेत्रों के लिए एक्शन प्लान बना लिया गया है, जिसमें 5 क्रियान्वित हो चुके हैं और 10 क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन सुधारों से व्यवसायों को बार-बार अनुमति लेने, दस्तावेज़ जमा करने और निरीक्षण संबंधी जटिलताओं से राहत मिलेगी। इससे विशेष रूप से स्टार्टअप्स, एमएसएमई और नए उद्यिमयों को लाभ होगा तथा उनके समय, लागत और संसाधनों की बचत सुनिश्चित हो सकेगी। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में 90 करोड़ 'आभा' खातों का रिकॉर्ड बना

जयपुर । आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में 90 करोड़ 'आभा' खातों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है। राजस्थान ने इसमें से करीब 7 करोड़ 19 लाख खातों के साथ देश में दूसरे स्थान प्राप्त किया है। ज्ञात रहे कि मरीजों का डेटा यूनिक हैल्थ आभा आईडी के माध्यम से संधारित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करना आसान हुआ है और लोगों को अपना हैल्थ रिकॉर्ड मोबाइल पर उपलब्ध भी हो रहा है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक गत 5 वर्षों में आभा खाते बनाने में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2021 में आभा आई की संख्या 14.7 करोड़ से बढकर 2022 में 30.4 करोड़, 2023 में 50.6 करोड़, 2024 में 72.2 करोड़ और 2025 में 84.5 करोड़ दर्ज हुई थी। उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां मरीज, डॉक्टर और अस्पताल एक-दूसरे से डिजिटल रूप से जुड़े होते हैं। योजना के तहत पंजीकृत नागरिक की एक 14 अंकों की यूनिक आभा हैल्थ आईडी बनती है, जो रोगी की पहचान और मेडिकल रिकॉर्ड का आधार होती है। सभी लैब रिपोर्ट्स दवाइयों के पर्चे और पुरानी बीमारियों का डेटा इस आईडी में सुरक्षित रहता है, जिससे कागजों को साथ रखने की जरूरत खत्म हो जाती है। रोगी का पूरा डेटा सुरक्षित होता है और उसकी अनुमति के बिना कोई भी डॉक्टर या अस्पताल इसे नहीं देख सकता। इससे डॉक्टरों को मरीज की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री समझने में आसानी होती है, जिससे सही समय पर सही इलाज मिल पाता है। इस तकनीकी नवाचार में आईएचएमएस की महत्वपूर्ण भूमिका है।

वीजा खत्म होने के बाद रह रहे दो विदेशी छात्रों को एनडीपीएस केस में जमानत नहीं

अदालत ने कहा कि ऐसे ही एक मामले में पूर्व में विदेशी नागरिक को जमानत दी गई थी, लेकिन वह निचली कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने वीजा अवधि पूरी होने के बाद अवैध रूप से रह रहे दो विदेशी छात्रों को मादक पदार्थ रखने के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि ऐसे ही एक मामले में पूर्व में विदेशी नागरिक को जमानत दी गई थी, लेकिन वह जमानत मिलने के बाद निचली अदालत में पेश ही नहीं हुआ। इसके अलावा विदेशी नागरिकों के फरार होने की आशंका अधिक रहती है। जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश केन्या निवासी मागरिट काजुग व तंजानिया निवासी यूडो कोम्बा की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए।

जमानत याचिकाओं में कहा गया कि वे छात्र वीजा पर भारत आए थे और फिलहाल राजस्थान विश्वविद्यालय में

- सुनवाई के दौरान विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के अधिकारी ने अदालत को बताया कि प्रदेश में करीब 15 हजार विदेशी अवैध रूप से रह रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

अध्ययनरत हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर 3.94 ग्राम कोकीन बरामद की है, जबकि एनडीपीएस कानून के तहत कोकीन की व्यावसायिक मात्रा 100 ग्राम तय है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए। जिसका विरोध करते हुए केन्द्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भरत व्यास ने कहा कि एक ओर वे भारत में अवैध रूप से रह रहे थे और वीजा अवधि बढ़ाने के लिए भी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई थी। वहीं दूसरी ओर उनसे मादक पदार्थ बरामद हुआ है। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। सुनवाई के दौरान विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के अधिकारी ने अदालत को बताया कि प्रदेश में करीब 15 हजार विदेशी अवैध रूप से रह रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है।

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को सजा

जयपुर । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर द्वितीय ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शहनवाज अंसारी को बीस साल की कठोर सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.16 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि इस तरह की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ रही हैं। यदि ऐसे अभियुक्तों के प्रति सहानुभूति बरती गई तो इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे।अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता की मां ने 7 मई, 2022 को करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जयपुर में स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने छापेमारी की

जयपुर (कासं)। राजधानी जयपुर में स्पा और मसाज सेंटर्स की आड़ में संचालित अनैतिक गतिविधियों पर बुधवार को पुलिस ने शिकंजा कसा। चित्रकूट इलाके में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 स्पा संचालकों को गिरफ्तार किया, वहीं जवाहर सर्किल क्षेत्र में स्पा सेंटर से 40 युवक-युवतियां भी गिरफ्तार किए गए।

पुलिस उपायुक्त (जयपुर पश्चिम) प्रशांत किरण ने बताया कि पुलिस टीम ने चित्रकूट क्षेत्र में संचालित संदिग्ध स्पा सेंटर्स पर दबिश देकर चार संचालकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में गोविंद नगर मोड़ स्थित लक्की स्टार स्पा सेंटर का संचालक भीमराज उर्फ राज मीणा (35) निवासी जलोई, कालवाड़, विक्रम मान (47) निवासी श्रीराम नगर झोटवाड़ा, दा लीफ स्पा सेंटर का संचालक चेतन शर्मा (26) निवासी गणेश नगर विस्तार निवारू रोड तथा रिलैक्स इन स्पा सेंटर का संचालक प्रकाश जांगिड़ (41) निवासी खुड़ी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) शामिल हैं।

इसी प्रकार जवाहर सर्किल थानाधिकारी महेश चंद्र गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विभिन्न स्पा सेंटर्स और मसाज पार्लरों पर सघन जांच और छापेमारी की। पुलिस ने मौके से 40 युवक-युवतियों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया तथा संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े साक्ष्य भी जुटाए हैं। पुलिस अब गिरफ्तार लोगों और पार्लर संचालकों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मंगलवार को देहरादून पहुंचे। जहां उन्होंने उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री धामी ने देवनानी का पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। देवनानी ने उन्हें राजस्थान विधानसभा में किए गये नवाचारों पर आधारित पुस्तक की प्रति भेंट की, जिसे धामी ने सराहा।

मेगा नाकाबंदी : एक ही दिन में 15 हजार से अधिक चालान काटे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान पुलिस ने अपराध नियंत्रण,असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने और यातायात नियमों की कडाई से पालना सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रदेश में व्यापक नाकाबंदी अभियान चलाया गया। जहां एक ही दिन में 15 हजार से अधिक चालान कर 25.50 लाख की नगदी और अवैध हथियार बरामद किए है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (लॉ एंड ऑर्डर) वीके सिंह ने बताया कि इस अभियान के दौरान राज्य के सभी रेंज और कमिश्नरेट क्षेत्रों में कुल 1103 नाकाबंदी पॉइंट स्थापित किए गए। पुलिस टीमों ने मुस्तैदी दिखाते हुए कुल 39 हजार 984 दुपहिया और 34 हजार 888 चौपहिया वाहनों की सघन चेकिंग की जबकि 226 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एडीजी सिंह ने बताया कि विशेष अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 15083 चालान बनाए गए। इनमें बिना हेलमेट वाहन

चलाने वाले 3234, बिना सीट बेल्ट 1648, मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने वाले 184, नंबर प्लेट संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले 1 जार 653, काली फिल्म लगे वाहनों के 1643 तथा अन्य श्रेणियों में 6433 चालान शामिल हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 385 वाहन चालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई।यातायात चेकिंग के साथ-साथ पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर भी कडी नजर रखी गई। जिसके परिणाम स्वरूप 11 वाहन जब्त किए गए तथा 73 प्रकरण दर्ज किए गए। जिनमें आर्म्स एक्ट के 4, आबकारी अधिनियम के 30,

- वाहनों से 25.50 लाख की नगदी और अवैध हथियार बरामद
- प्रदेश में 1103 पॉइंट्स पर तैनात रही पुलिस, 74 हजार वाहन जांचे
- शराब पीकर वाहन चलाने वाले 385 चालकों पर गिरी गाज

एनडीपीएस एक्ट के 2 तथा अन्य विशेष एवं स्थानीय कानूनों के 37 मामले शामिल हैं। इस अभियान के दौरान दर्ज प्रकरणों में 63 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर 163 व्यक्तियों को बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया।जांच और धरपकड के दौरान कई महत्वपूर्ण बरामदगियां भी हुईं। जयपुर रेंज में पांच वाहन और 25.50 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई। भरतपुर रेंज में अवैध रेत परिवहन में प्रयुक्त ट्रैक्टर तथा बड़ी मात्रा में देशी शराब पकड़ी गई। कोटा रेंज में अवैध शराब, डोडा चूरा, वाहन और स्पीकर एम्प्लीफायर जब्त किए गए। बीकानेर रेंज में अवैध शराब और वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।एडीजी सिंह ने बताया कि नाकाबंदी अभियान में जयपुर रेंज सबसे आगे रही।

जहां 2 हजार 492 चालान बनाए गए। इसके बाद अजमेर रेंज में 2 हजार 229, भरतपुर रेंज में 2 हजार 145, उदयपुर रेंज में 2 हजार 51, कोटा रेंज में 1 हजार 796, बीकानेर रेंज में 1 हजार 572 तथा जोधपुर रेंज में 1 हजार 470 चालान बनाए गए। जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्रों में क्रमश: 990 और 338 चालान किए गए। इसके अलावा वाहन जांच के मामले में भी जयपुर रेंज अग्रणी रही। जहां 13 हजार 589 वाहनों की जांच की गई। उदयपुर रेंज में 12 हजार 234, अजमेर में 10 हजार 205, भरतपुर में 9 हजार 081 तथा जोधपुर रेंज में 8 हजार 79 वाहनों की जांच की गई।